संख्या-23/2023/आई/407870/2023-फा.नं.-10-22099/1398/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2023

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2015-2001(9)/2003 दिनांक 28 मार्च,2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में 01 अप्रैल, 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गयी है।

2- केन्द्र सरकार तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं, जिनके क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में यथेष्ट संशोधन किये गये हैं।

3- भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (इम्प्लीमेण्टेशन आफ नेशनल पेंशन सिस्टम) रूल्स, 2021 प्रख्यापित किये गये हैं। उक्त नियमों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियमावली यथाशीघ्र तैयार की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमावली प्रख्यापित किये जाने तक, भारत सरकार के सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (इम्प्लीमेण्टेशन आफ नेशनल पेंशन सिस्टम) रूल्स, 2021 में किये गये कतिपय प्रावधानों के अनुसार अन्तरिम व्यवस्था के रूप में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण:-**

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारी, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर तत्काल ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) **परिवीक्षा अवधि में अंशदान:-**

कार्मिक द्वारा परिवीक्षा अवधि में अंशदान किया जायेगा तथा सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रचलित दर से अंशदान किया जायेगा।

(3) **निलंबन पर अंशदान की प्रक्रिया:-**

(क) यदि कोई कर्मचारी निलंबन के अधीन था, तो उस कैलेंडर माह में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किये गये **जीवन निर्वाह भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जायेगा।**

(ख) निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता द्वारा उसके विकल्प पर अंशदान किया जा सकेगा, परन्तु जहाँ जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश पर, जिसके लिए अवकाश वेतन देय है, माना गया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए अभिदाता हकदार हो जाता है। **अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के प्रान (PRAN) खाते में जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।**

(ग) अभिदाता के निलंबन के अधीन होने की दशा में **सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता को दिये जाने वाले निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुये अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा:**

परन्तु **यदि निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था तो सरकार द्वारा उस अवधि हेतु कोई अंशदान नहीं किया जायेगा।**

परन्तु यह और कि जहां जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन की अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश माना जाता है, जिसके लिए अवकाश वेतन देय है, ऐसे प्रकरणों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। **सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के प्रान (PRAN) खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।**

(4) **कार्मिक के चिकित्सकीय अवकाश, नागरिक उपद्रव के कारण अवकाश अथवा उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन हेतु अवकाश की अवधि पर नियोक्ता अंशदान:-**

सरकार प्रत्येक मास अभिदाता के प्रान (PRAN) खाते में सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। अंशदान की देय राशि को रूपये के अगले उच्च मूल्य में पूर्णांकित किया जायेगा:

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उन मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सकीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाता है और **ऐसे अवकाश के दौरान, अवकाश वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार नोशनल परिलब्धि, जिसमें अवकाश वेतन और महंगाई भत्ता, नान प्रैक्टिसिंग भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि हर महीने अभिदाता के प्रान (PRAN) खाते में अंशदान करेगी।**

(5) **सरकारी सेवा से त्याग-पत्र:-**

सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता के संचित पेंशन कार्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जायेगा,

परन्तु एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय त्यागपत्र के प्रभावी होने और संबंधित कार्मिक के कार्य मुक्त होने की तिथि से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु, त्याग पत्र प्रभावी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो:

(6) **तकनीकी त्याग पत्र:-**

यदि कोई कर्मचारी केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था अथवा किसी अन्य राज्य सरकार/किसी अन्य राज्य सरकार की स्वायत्तशासी संस्था में सेवायोजन होने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा से तकनीकी त्याग-पत्र देकर सेवामुक्त होता है, तो उसके विकल्प पर उसके प्रदेश सरकार के अधीन खुले प्रान खाते को संचित पेंशन कार्पस सहित उसके वर्तमान नियोक्ता के अधीन अंतरित किया जा सकेगा।

(7) **सेवानिवृत्ति पर लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का प्रभाव:-**

विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां, जो अभिदाता के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई थीं, किंतु अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त नहीं हुई हैं या अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् शुरू की गयी न्यायिक कार्यवाही, अभिदाता को उसके संचित पेंशन कार्पस से संदेय हितलाभों को प्रभावित नहीं करेगी और पी०एफ०आर०डी०ए० द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता के संचित पेंशन कार्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी।

ऐसे उपदान और अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित ऐसे मामलों में, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, की गयी किसी भी कार्यवाही पर उप-नियम (1) के अधीन उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे और ऐसे लाभों को, उन नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो ऐसे लाभों पर लागू होते हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) **सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व अभिदान बंद किया जाना:-**

संप्रति सेवानिवृत्ति से 03 माह पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदान बंद किये जाने की व्यवस्था है। पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा उक्त अवधि को घटाकर 01 माह कर दिया गया है। अतः उपरोक्तानुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के 01 माह पूर्व पेंशन खाते में अभिदान बंद किया जायेगा।

4- उपर्युक्त समस्त प्रावधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,वित्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।